कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / छाप्रोप्र / निजी / 2018–19 दिनांक : 4/5/2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय)

अति आवश्यक

विषय : सत्र 2017–18 के विद्यार्थी जिनके प्रस्ताव विभिन्न छात्रवृत्तियों हेतु शालादर्पण पोर्टल पर संस्था प्रधानों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे को शत्–प्रतिशत छात्रवृत्ति का भुगतान करने बाबत।

प्रसंग : इस कार्यालय का प्रवेशोत्सव हेतु समसंख्यक पत्र दिनांक 17.04.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की निरंतरता में आदेशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को दृढता पूर्वक निर्देशित करें कि उनके विद्यालयों के वे समस्त विद्यार्थी जिनके प्रस्ताव उन्होंने विभिन्न छात्रवृत्तियों हेतु शालादर्पण पोर्टल पर गत सत्र 2017–18 में अपलोड किए थे तथा उनमें जो विद्यार्थी आज भी छात्रवृत्ति से वंचित हैं को आवश्यक रूप से शत्–प्रतिशत छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना है।

विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति से वंचित रहने के प्रमुख कारण निम्नांकित वांछित सूचनाओं का न होना या फिर गलत होना था यथा – भामाशाह कार्ड नम्बर/भामाशाह रजिस्ट्रेशन नम्बर, आधार नम्बर/आधार एनरोलमेन्ट नम्बर, बैंक खाता सम्बन्धित विवरण इत्यादि। उक्त समस्त अथवा अन्य कोई विवरण जिसके अभाव में छात्रवृत्ति दिया जाना लम्बित है की पूर्ति समस्त संस्था प्रधान प्रवेशोत्सव प्रथम चरण / द्वितीय चरण की अवधि में आवश्यक रूप से कर लेवें। समस्त वंचित विद्यार्थियों की समग्र सूचना विद्यालयों से एक्सल शीट में दिनांक 06 जुलाई,2018 तक प्राप्त करने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय) का होगा।

जिला स्तर पर ठोस कार्ययोजना बनाते हुए समस्त नए प्रवेशित एवं पुराने छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के लिए आदेशानुसार कार्यवाही सम्पादित करावें।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :

1. समस्त उप–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, माध्यमिक शिक्षा को आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

04.5.18

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर